झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
सप्तम (शीतकालीन)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 18.11.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री हरिकृष्ण सिंह एवं श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	प्रभात खबर अखबार के 16 नवम्बर 2016 के अंक में प्रकाशित समाचार "सरकारी खजाने से राशि निकलते रही, बेखबर रहे मैनेजर" केन्द्र प्रायोजित समेकित जल छाजन कार्यक्रम (आईडब्लूएम्पी)की सरकारी खाता से तकनीकी विशेषज्ञ अनिल कुमार राशि की मनमानी निकासी करते रहे, लेकिन कार्यक्रम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर गगनदेव बैठा बेखबर अभिलेखों व चेकों पर हस्ताक्षर करते रहे। इस कार्यक्रम के चौथे बैच के लिए कुल 77 लाख 90 हजार 25 रूपये 50 पैसे उपयोग भी कर दिये गये लेकिन योजना स्थल पर कहीं भी काम नहीं हुआ, सिर्फ स्लोगन लिख कर राशि की बंदरबांट कर ली गई। कार्यक्रम का कुल 41 लाख 26 हजार 319 रूपये की फर्जीवाड़ा हुई। श्री बैठा कार्यक्रम की मानिटरिंग भी करते रहे लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता चला कि कार्यक्रम में तकनीकी विशेषज्ञ सरकारी राशि से निजी उपयोग में भुगतान करते रहे, तकनीकी विशेषज्ञ श्री कुमार ने 22 मार्च 2014 को श्री बैठा को अपना त्याग पत्र दे दिया, फिर भी उन्होनें अभिलेखों की जाँच नहीं की, मामला तब प्रकाश में आया जब ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल को कार्यक्रम एजेंसी से हटा कर प्रादेशिक वन प्रमण्डल कार्यालय को बनाया गया, बैंकों की मिलीभगत से जलछाजन कार्यक्रम की 21 लाख 26 हजार 319 रूपये निजी	जल संसाधन

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		खातों में चली गयी, फिर भी प्रोजेक्ट मैनेजर को ना नामजद अभियुक्त बनाया गया और ना ही अनुसंधान में ही उन्हें आरोपी बनाया गया, जबकि कार्यक्रम की समस्त जवाबदेही उनकी बनती है, कम्प्यूटर ऑपरेटर संदीप कुमार को महीनों जेल में रहना पड़ा, अनुसंधान में ही उन्हें आरोपी बनाया गया, जबकि कार्यक्रम की समस्त जवाबदेही उनकी बनती है, कम्प्यूटर ऑपरेटर संदीप कुमार को महीनों जेल में रहना पड़ा अनुसंधानकर्त्ता के बगैर वित्तीय जवाबदेही वाले उस अनुबंध कर्मचारी के मत्थे सारा दोष मढ़ दिया, जबकि मुख्य जवाबदेह मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर श्री बैठा को मामले से पुलिस ने ही आरोप मुक्त कर दिया, 21 मई 2014 को तकनीकी विशेषज्ञ अनिल कुमार को पुलिस ने धनबाद से गिरफ्तार किया, स्वीकारोक्ति बयान लिया, फिर भी अनुसंधानकर्त्ता श्री बैठा द्वारा किये हस्ताक्षरों की कोई जाँच नहीं करायी और मामले की इतिश्री कर डाली। अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में दोषी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर गगनदेव बैठा को सरकारी राशि की फर्जीवाड़ी एवं बंदरबांट करने के आरोप में अविलंब एफ0आई0आर0 दर्ज कर गिरफ्तार करने एवं सरकारी खजाने की लूट की राशि वसूलने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	
02-	सर्वश्री प्रदीप यादव, प्रकाश राम एवं श्री रवीन्द्रनाथ महतो स0वि0स0	खाद्य सुरक्षा कानून-2013, 2 वर्ष देर से इस राज्य में लागू हुआ, लेकिन अबतक सभी अपेक्षित परिवारों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है सरकार के बार-बार घोषणा के बावजूद अबत APL परिवार राशन कार्ड एवं किरोसीन तेल से वंचित है। खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले 84% परिवारों को इस वर्ष अनाज उठाव में हेराफेरी के कारण राज्य के सभी जिलों के गरीबों को 3 महीने के सस्ते अनाज से वंचित रहना पड़ा है। कानून में प्रावधान है कि इसके बदले उसे मुआवजा की राशि दी जायेगी। उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है एवं जामताड़ा जिला अन्तर्गत नाला विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीबों के हित में एक महत्वपूर्ण योजना "खाद्यसूरक्षा" के तहत मशीनों द्वारा जोड़ी जाने वाली लाभुकों का नाम Net का link बंद रहने के कारण सूची में नहीं जूट पा रहा है,	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

कृ० पृ० उ० -

		परिणामस्वरूप अत्यंत गरीब व्यक्यिों को खाद्य सामग्री से वंचित रहना पड़ता है। अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते है।	
03-	श्री शिवशंकर उराँव स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के लोहरदगा, गुमला एवं लातेहार जिला के पठारों में बॉक्साईड का अकुत भण्डार है। हिण्डालको कम्पनी द्वारा इन क्षेत्रों के बॉक्साईड का उत्खनन एवं दोहन विगत 40-50 सालों से किया जा रहा है। बॉक्साईड खनन और ढुलाई से उत्पन्न प्रदूषण- उड़ने वाली धूल,गर्द और गुब्बार से बगड़ू, नेतरहाट, डुम्बारपाठ क्षेत्र के प्राकृतिक वनस्पति एवं पर्यावरण को भारी क्षति पहुँच रहा है। प्रदूषित जलवायु और प्रदूषित प्रकृति के कारण इन इलाकों के लोग कई प्रकार की गंभीर बिमारियों का शिकार हो रहे है। पर्यावरण, मानव, घरेलू पशु-पक्षी सभी की सेहत पर अत्यंत विपरित प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्र से आजतक अरबों रूपैये मूल्य की बॉक्साईड खनिज का दोहन और वाहन हो चुका है। इन जिलों के लोगों के रोजी-रोजगार हेतु बॉक्साईड आधारित आजतक कोई भी छोटी अथवा बड़ी औद्योगिक ईकाई/कारखाना स्थापित नहीं हुआ। जिसके लिए लम्बे समय से मांग की जाती रही है। यदि मांग पूरी हो गई होती तो लोगों को संतोष रहता कि कम से कम रोजी रोजगार के अवसर तो मिल रहे हैं। क्षेत्र के बॉक्साईड का खनन करने वाली कम्पनी हिण्डालको प्रबंधन द्वारा आज तक खनन और पर्यावरण सुरक्षा के उपायों को लागू करने सम्बधी कानूनी निर्देशों का भी खुले तौर पर अवहेलना किया जाता रहा है। क्षेत्र के लोगों के हित व सामुदायिक विकास के नाम पर औद्योगिक सामुदायिक दायित्व निधि (सी0एस0आर0) फंड) राशि का भी बड़े पैमाने पर दुरूपयोग और बंदरबाँट वर्षो से होता रहा है। जिसकी गहन जाँच की आवश्यकता है। मैं सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हिण्डालको पर कड़ा कदम उठाते हुए क्षेत्र के लोगों की गंभीर बिमारियों से उपचार सेवा और युवक- युवक्तियों के चिकित्सकीय शिक्षा हेतु 120 शैय्या वाली एक बहुद्देशीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना हिण्डालको के सी0एस0आर0 फंड द्वारा लोहरदगा अथवा गुमला में करवाया जाए।	उद्योग खान एवं भूतत्व
04-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	वर्त्तमान में राज्यभर के रिटेल दवाई दुकानदारों को दवा बिक्री हेतु फार्मासिस्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। उक्त नियम वर्षो पुराना है, जब भारत में बनी-बनाई दवाइयाँ नहीं मिलती थी और केमिकल्स को मिलाकर दवाई बनानी पड़ती थी। वर्त्तमान में सभी दवाइयाँ बनी-बनाई आती है। आज झारखण्ड में फार्मासिस्टों की घोर कमी है। झारखण्ड में मौजूदा दवा दुकानों की तुलना में राज्य	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

		में फार्मासिस्टों की संख्या न के बराबर है, जिस कारण आज एक फार्माशिस्ट अपना सर्टिफिकेट 10-12 दवा दुकानों में लाईसेंस बनवाने हेतु देता है, जिसके आड़ में स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर और रीजनल लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अतएव इस दिशा में मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करते हुए माँग करता हूँ कि उक्त प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु राज्य के सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले सभी साइंस और अंग्रेजी ग्रेजुएट्स को दवा दुकान में फार्मासिस्ट के समतुल्य लाइसेंस लेने का अधिकार दिया जाय, जिससे हजारों की संख्या में रोजगार का सृजन तो होगा ही, साथ ही भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।	

राँची,
दिनांक- 18 नवम्बर, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-45/2016-3444/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17.11.16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ जल संसाधन विभाग/खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/16

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-45/2016-3444/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17.11.16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

17/11/16

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

17/11/16